PROSPECTUS

2024-25

SESSION

UTTAR PRADESH STATE MEDICAL FACULTY

Combined Paramedical
Selection Process - 2024-25

www.upsmfac.org

CONTACT INFO

5, Sarvpalli Mall Avenue Road,
Lucknow - 226001 (U.P.) India

TECHNICAL SUPPORT NO.
+91-7353923338
9:00 AM to 6:00 PM
(Working Days)

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा सम्बद्ध, उ0प्र0 शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल डिप्लोमा प्रशिक्षणों के शासकीय प्रशिक्षण केन्द्रो में प्रवेश हेतु

संयुक्त पैरामेडिकल प्रवेश प्रक्रिया (CPSP) 2024–25

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
अध्याय–1	महत्वपूर्ण सूचना	2
अध्याय–2	अर्हताएं	3
अध्याय–3	आरक्षण	4 - 5
अध्याय–4	पंजीकरण प्रक्रिया	6 - 8
अध्याय–5	मेरिट लिस्ट प्रक्रिया	9 - 10
अध्याय–6	काउंसलिंग प्रक्रिया	11 - 14
अध्याय–7	प्रवेश प्रक्रिया	15
अध्याय–8	सहायता केन्द्र	16
अनुलग्नक		
I	प्रशिक्षणवार उपलब्ध सीटों की संख्या	17
II	प्रशिक्षण केन्द्रों व उपलब्ध सीटों सम्बंधी सूचना	18 - 23
III	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित(FF) एवं भूतपूर्व सैनिक(Ex-Army) के प्रमाण पत्रों का प्रारूप	24 - 25

अध्याय–1

महत्वपूर्ण सूचना

1. अभ्यर्थी सूचना विवरणिका (Prospectus) का भली भांति अध्ययन करें।
2. अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व संबधित पाठ्यक्रम हेतु अर्हता स्वयं जॉच लें।
3. संयुक्त पैरामेडिकल प्रवेश प्रक्रिया 2024–25 हेतु अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सम्पूर्ण प्रक्रिया आन–लाइन होगी।
4. ऑनलाइन आवेदन करने सम्बन्धी निर्देश, सूचना विवरणिका एवं लिंक https://upsmfac.org वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगें।
5. प्रवेश सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियों एवं ऑनलाइन काउंसलिंग की जानकारी हेतु समय–समय पर https://upsmfac.org वेबसाइट को देखते रहें। अपरिहार्य कारणोवश निर्धारित तिथियों मे आवश्यकतानुसार परिवर्तन सम्बन्धी एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी वेबसाईट पर दी जायेगी।
6. अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु **स्वयं** का **मोबाइल नम्बर** एवं **ई–मेल आईडी** का ही उपयोग करें। गलत मोबाइल नम्बर अथवा गलत ईमेल–आईडी के होने के कारण यदि अभ्यर्थी को कोई सूचना नहीं प्राप्त होती है तो इसके लिये उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी की जिम्मेदारी नहीं होगी।
7. आवेदन, काउंसलिंग एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल आनलाईन ही लिया जायेगा।
8. निर्धारित तिथि में ही आनलाइन आवेदन करें, निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात आवेदन फार्म भरे जाने का कोई प्राविधान नहीं है।
9. अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
10. आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता पूर्ण करता है अन्यथा एक बार जमा की गयी फीस किसी भी दशा में वापस नहीं होगी तथा निर्धारित अर्हता के अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
11. यह प्रशिक्षण केवल एक तकनीकी शैक्षिक (Technical Education) योग्यता मात्र है। प्रशिक्षण पूर्ण कालिक है जिसकी परीक्षक संस्था उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी है। यह प्रशिक्षण किसी भी सेवायोजन की गारन्टी नहीं है।

आवेदन, काउंसलिंग एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क (Application, Counselling and Registration Fee)	आवेदन एवं काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क जमा करने के पश्चात् किसी भी स्थिति में वापस नही किया जायेगा।
वर्ग	**शुल्क** (Non-Refundable)
ऑनलाइन आवेदन शुल्क (प्रथम ऑनलाइन काउन्सिलिंग शुल्क के साथ)	Rs. 1500.00
ऑनलाइन काउन्सिलिंग शुल्क (अग्रेतर काउन्सिलिंग हेतु)	Rs. 500.00

नोटः–

❖ यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवेदन–पत्र में गलत सूचना देता है तो उसका आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और यदि कोई अभ्यर्थी गलत सूचना के आधार पर प्रवेश पा जाता है तो पता लगने पर उसका प्रवेश/प्रशिक्षण निरस्त कर दिया जायेगा जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

अध्याय–2

अर्हताएं

- उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग या उसके समकक्ष परीक्षा जो कि केन्द्र अथवा उ0प्र0 शासन से मान्यता प्राप्त एवं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान/गणित सहित विषयों से उत्तीर्ण हों। समकक्षता न होने की दशा में अभ्यर्थी का प्रवेश/चयन होने के पश्चात् भी प्रशिक्षण से निरस्त किया जा सकता है।
- प्रवेश हेतु कोई प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार नही लिया जायेगा।
- प्रदेश के शासकीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस निमित्त, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षायें उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, उनके लिए डोमिसाईल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट में से एक अथवा दोनों परीक्षायें उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की है तथा उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी है, ऐसे अभ्यर्थियों को डोमिसाईल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन में 10वीं तथा 12वीं के प्राप्तांको को भरने की पूर्णतया जिम्मेदारी अभ्यर्थी की है। इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अभ्यर्थी के चयन के उपरान्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों का सत्यापन प्रवेशित प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा ही किया जायेगा।
- यदि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किये गये प्रपत्रों तथा दर्ज की गयी सूचना के ऑनलाइन सत्यापन में कोई भिन्नता पायी जाती है तो ऐसी दशा में आपका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। जिसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।
- दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 तक अभ्यर्थी का न्यूनतम आयु 17 वर्ष (17 वर्ष अथवा उससे अधिक) होनी चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी की जन्मतिथि 31 दिसम्बर, 2007 या उसके पूर्व की होनी चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नही की जायेगी।
- अभ्यर्थी निर्धारित शैक्षिक अर्हता एवं आयु सीमा सुनिश्चित होने पर ही आवेदन करें।

अध्याय–3

आरक्षण (Reservation)

1. आरक्षण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के नियम मान्य होंगे।
2. आवेदन पत्र भरते समय निश्चित कर लें कि आप किस श्रेणी में आरक्षण चाहते हैं एवं अपनी पात्रता श्रेणी में ही आरक्षण हेतु आवेदन करें। कृपया ध्यान दें, आरक्षण श्रेणी में किसी भी तरह का परिवर्तन बाद में सम्भव नही है।
3. आवेदन के समय श्रेणी/उपश्रेणी का उल्लेख करने मात्र से ही आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। नियमानुसार वांछित आरक्षण का लाभ लेने हेतु आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होगें। केन्द्रीय सेवाओं हेतु जारी आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र मान्य नही होंगे।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जारी आरक्षित वर्ग की जातियों को ही देय होगा।
5. **पाठ्यक्रम की कुल सीटों पर निम्नवत् आरक्षण प्रदान किया जायेगा।**

क्र.सं.	उर्ध्वाधर आरक्षण (श्रेणी) वर्टिकल आरक्षण	
1	अनुसूचित जाति (SC)	21%
2	अनुसूचित जनजाति (ST)	2%
3	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	27%
4	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	10%

क्र. सं.	क्षैतिज आरक्षण (उपश्रेणी) प्रत्येक श्रेणी में निम्नलिखित उप श्रेणी को निम्नवत हॉरिजोन्टल आरक्षण देय होगा	
1	दिव्यांगजन (PH)	5%
2	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (FF)	2%
3	भूतपूर्व सैनिक (Ex-Army)	1%

6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी हेतु दिनांक 01 अप्रैल, 2024 के बाद का निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
7. दिव्यांगता से संबधित प्रमाण–पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिक्षक द्वारा जारी प्रमाण–पत्र अनुमन्य होगा।
8. शासनादेश संख्या–22 सीएम/28–3–2013 दिनांक–10.06.2013 द्वारा विमुक्त जाति के आरक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश के बिन्दु संख्या–03 एवं 04 में निम्न व्यवस्था की गयी है –
    - जहाँ तक विमुक्त जातियों को आरक्षण की सुविधा की अनुमन्यता का प्रश्न है कि विमुक्त जाति के अन्तर्गत आने वाली, जो जातियों अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत है, उन्हें तद्नुरूप उक्त वर्गों हेतु अनुमन्य आरक्षण की सुविधा प्रदत्त होगी।
    - यह स्पष्ट किया जाता है कि विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के नाम से आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं है, अपितु जैसा कि उपर स्पष्ट किया गया है कि विमुक्त जातियों की सूची में अंकित वह जातियों, जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित है, उन्हें उक्त जाति को अनुमन्य आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।
9. मेरिट सूची घोषित हो जाने के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी की श्रेणी में सत्यापन में यदि भिन्नता पायी जाती है–

    (क) प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश के समय अभ्यर्थी श्रेणी (SC/ST/ OBC/EWS) का वैध प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु Rejected अंकित किया जाता है। इस दशा में यदि अभ्यर्थी अगली काउंसलिंग में प्रतिभाग करता है तो उसे श्रेणी (UR) में परिवर्तित करते हुये काउंसलिंग में आवंटन सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

(ख) प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश के समय अभ्यर्थी उपश्रेणी (PH/FF/Ex-Army) का वैध प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु Rejected अंकित किया जाता है। इस दशा में यदि अभ्यर्थी अगली काउंसलिंग में प्रतिभाग करता है तो उसे उपश्रेणी (None) में परिवर्तित करते हुये काउंसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा अंकित श्रेणी के अनुसार ही आवंटन सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

(ग) प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश के समय अभ्यर्थी 10वीं/12वीं का मूल एवं वैध प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है तो इस दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा एवं वह किसी भी काउंसलिंग में प्रतिभाग नही कर पायेगा।

अतः आवेदन के समय सभी विवरण सावधानी पूर्वक भरें।

10. अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का प्रमाण पत्र पिता के आधार पर मान्य होगा, पति के आधार पर बना प्रमाण पत्र मान्य नही होगा।

अध्याय–4

पंजीकरण प्रकिया

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (How to Apply online)

1. अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें।

(i) आवेदन पत्र भरने से पहले सूचना विवरणिका(Prospectus) को Download करके भली भाँति पढ़ कर समझ लें।

(ii) ऑनलाइन फार्म भरने से पहले अभ्यर्थी के पास अपना एक वैध मोबाइल नं0 एवं ई–मेल आईडी होना आवश्यक है। फार्म भरने के दौरान ओटीपी (OTP) एवं रजिस्ट्रेशन विवरण इसी रजिस्टर्ड मोबाइल नं0 एवं ई–मेल आईडी पर आयेगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नं0 को काउन्सिलिंग/प्रवेश प्रक्रिया के पूरा होने तक अपने पास सुरक्षित रखें। प्रवेश परीक्षा/काउन्सिलिंग से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं इसी मोबाइल नं0/ ई–मेल आईडी पर भेजी जायेगी।

(iii) आवेदन पत्र भरने से पहले अभ्यर्थी निम्नलिखित विवरण अपने पास रखना सुनिश्चित करें–

(अ) 10वीं का प्रमाण–पत्र, 12वीं का प्रमाण–पत्र केवल विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विभाग, जीव विज्ञान/गणित)

(ब) यदि अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), दिव्यांगजन (Physical Handicap-PH), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों (Freedom Fighter-FF) अथवा भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Army) श्रेणी (दिये हुए प्रमाण पत्र के अनुसार) के हैं, तो सम्बंधित वैध प्रमाण पत्र अपने पास रखना सुनिश्चित करें।

(iv) अभ्यर्थी अपना नवीनतम रंगीन फोटो (50KB-100KB), हस्ताक्षर (50KB-80KB) जेपीजी/जेपीईजी (JPG/JPEG) फार्मेट में और उक्त सभी प्रमाण पत्र (100KB-1MB) जेपीजी/जेपीईजी/पीडीएफ (JPG/JPEG/PDF) फार्मेट में स्कैन करके पेन ड्राइव अथवा कम्प्यूटर में सुरक्षित रख ले।

(v) फोटो दिनांक 01 मार्च, 2024 से पहले का नहीं होना चाहिए तथा फोटो पर अभ्यर्थी का नाम (Name) एवं फोटो दिनांक अंकित होना चाहिए।

जैसे–

नोट–

1. अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु केवल (Valid) वैध मोबाइल नं0 एवं ई–मेल आईडी का उपयोग करें, और मोबाइल को हमेशा सक्रिय रखें। गलत मोबाइल नं0 अथवा गलत ई–मेल आईडी के होने के कारण यदि अभ्यर्थी को कोई सूचना नहीं प्राप्त होती है तो इसके लिये उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी की जिम्मेदारी नहीं रहेगी।
2. **अभ्यर्थी अपना सभी विवरण सही–सही भरें। सबमिट करने के उपरान्त अभ्यर्थी विवरण में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं।**

आवेदन हेतु अन्य निर्देशः

(क) - श्रेणी / उपश्रेणी (Category / Sub-Category) का चयनः

(i) अभ्यर्थी अपनी श्रेणी (CATEGORY) को चुनें। जैसे कि UR/EWS/OBC/SC/ST

(ii) अभ्यर्थी अपनी उपश्रेणी (SUB-CATEGORY) को चुनें। जैसे कि PH/FF/ Ex-Army

(ख) - फोटोग्राफ के सम्बंध में:

(i) अभ्यर्थी अपनी फोटो, जेपीजी / जेपीईजी (JPG/JPEG) फार्मेट में स्कैन करें।

(ii) फोटो 01 मार्च, 2024 से पहले की न हो तथा फोटो पर अभ्यर्थी का नाम एवं फोटो दिनांक अंकित होना चाहिए।

(iii) आवेदन–पत्र के लिए रंगीन फोटोग्राफ खिंचवाते समय एक स्लेट पर अपना नाम तथा फोटो खिचवाने वाले दिन की तारीख लिखकर अपने सीने के पास अवश्य रखें ताकि वह फोटो में सीने के पास स्पष्ट रूप से अवश्य आये, ध्यान रहे नाम एवं तारीख कम्प्यूटर से कंपोज किया गया न हो।

(iv) फोटो खिचवाते समय कैप अथवा चश्मा न पहने।

(v) फोटो की 10 प्रतियां बनवाकर रखें जो काउन्सिलिंग एवं प्रवेश सम्बन्धी अन्य आवश्कताओं में प्रयोग की जायेगी।

(ग) - हस्ताक्षर के संबंध में:

अभ्यर्थी एक सफेद पेज पर काले रंग के बाल प्वांट पेन से अपना हस्ताक्षर कर उसको जेपीजी / जेपीईजी (JPG/JPEG) फार्मेट में स्कैन करे। जेपीजी / जेपीईजी (JPG/JPEG) हस्ताक्षर की साइज 80KB से अधिक न हो।

(घ) अन्यः

(i) यदि अभ्यर्थी से आवेदन करते समय कोई त्रुटि हुई है तो वह निर्धारित तिथियों में फार्म सबमिट करने से पूर्व संशोधन कर सकता है। उसके बाद कोई भी संशोधन नही किया जा सकता है।

(ii) ऐसे अभ्यर्थी जो शैक्षिक अर्हता पूरी नहीं करते है तथा प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होकर सफल भी हो जाते हैं तो भी उन्हें निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और न ही उनके द्वारा जमा शुल्क की वापसी की जायेगी। अभ्यर्थी की अर्हता पूरी न होने की दशा में शुल्क वापसी हेतु / प्रवेश वापसी हेतु कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

ऑनलाइन आवेदन करने की क्रमवार विधि

ऑनलाइन आवेदन करने हेतु वेबसाइट https://upsmfac.org पर जाये। **"Apply Here for CPSP 2024-25"** पर क्लिक करें।

Step 1: New Registration

Step 2: Login (Filling information, Qualification Details, Upload Documents)

Step 3: Application Fee Payment

Step 4: Print Application Form

Step 1: New Registration

(i) सर्वप्रथम New Registration पर क्लिक करे। इसके बाद अगले पेज पर अपने सभी विवरण (10वीं के प्रमाण–पत्र के अनुसार अपना नाम, जन्मतिथि, इत्यादि) सावधानी पूर्वक भरें तथा अपना मोबाइल नं0 एवं ई–मेल आईडी भरकर Submit बटन पर क्लिक करें।

(ii) Submit बटन पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नं0/ई–मेल आईडी पर एक ओटीपी (OTP) जायेगा।

(iii) मोबाइल नं0 वेरीफाई करने के बाद लॉगिन विवरण (Registration No./User ID and Password) आपके पंजीकृत मोबाइल एवं ईमेल पर जायेगा।

(iv) अभ्यर्थी अपना लॉगिन विवरण सुरक्षित रखे तथा अन्य के साथ साझा न करें।

Step 2: Login (Filling information, Qualification Details and Document Upload)

(i) New Registration की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त अभ्यर्थी को आवेदन करने हेतु Login करना होगा।

(ii) अभ्यर्थी अपना User-Id एवं Password भर कर Login करें।

(iii) Login करने के बाद व्यक्तिगत विवरण (Personal Information) भरने के उपरान्त Save & Next पर क्लिक करें, तत्पश्चात् शैक्षिणिक विवरण (Education Information) भरते समय 10वीं एवं 12वीं परीक्षा जिस बोर्ड यथा–UP Board/CBSE/ICSE/Other Board का चयन करते हुये Save & Next पर क्लिक करें।

(iv) अगले पेज पर डाक्यूमेंट अपलोड का फार्म खुल जायेगा। इस पेज पर अभ्यर्थी अपना फोटो (50KB-100KB), हस्ताक्षर (50KB-80KB) की जेपीजी/जेपीईजी (JPG/JPEG) फॉरमेट में तथा 10वीं का प्रमाण पत्र, 12वीं का प्रमाण पत्र, पत्र/अन्य प्रमाण पत्र (100KB-1MB) (यदि लागू है तो), की जेपीजी/जेपीईजी/पीडीएफ (JPG/JPEG/PDF) फॉरमेट में स्कैन कॉपी अपलोड करें एवं Upload & Next पर क्लिक करें।

(v) विवरण भर जाने के बाद आपके आवेदन का विवरण प्रदर्शित हो जायेगा। अपने सभी विवरण को सावधानी पूर्वक पढ़ ले। यदि कोई विसंगति है तो तुरन्त सुधार कर सकते हैं अन्यथा Fee Payment के पश्चात आप अपने विवरण में सुधार नहीं कर सकते है।

Step 3: Application Fee Payment

(i) उपरोक्त स्टेप 2 पूरा करने के बाद शुल्क जमा करने के लिये Fee Payment पर क्लिक करें।

(ii) केवल ऑनलाइन माध्यम द्वारा पेमेन्ट पोर्टल पर उपलब्ध विकल्पों यथा–DEBIT CARD/CREDIT CARD/INTERNET BANKING/UPI इत्यादि द्वारा ही फीस जमा कर सकते है।

Step 4: Print Application Form

फीस जमा करने के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिन्ट (Print) ले सकते है। आवेदन पत्र की 2 या अधिक प्रतियां निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लें।

अध्याय–5

मेरिट लिस्ट प्रकिया

अभिलेखों का सत्यापन

अभ्यर्थियों द्वारा इस हेतु निम्नाकिंत अभिलेख अपलोड किये जायेगें–

1. हाईस्कूल अंकपत्र एवं प्रमाण–पत्र
2. इण्टरमीडिएट अंकपत्र एवं प्रमाण–पत्र
3. आरक्षण से संबधित प्रमाण पत्र (OBC, SC, ST, EWS & PH, FF, Ex-Army)
4. डोमिसाईल सर्टिफिकेट

1. Conversion of CGPA Score into percentage score

In instances where student performance is captured as a Cumulative Grade Point Average (CGPA) score. The CGPA score needs to be converted into a percentage using with Circular number 24 dated 28 May 2010 issued by CBSE. An indicative equivalence of CGPA in percentage is calculated by the following formula and shall be adopted for candidates appearing from any of the 4 categories of boards.

Overall indicative Percentage of marks= 9.5 X CGPA (appearing in the final marksheet)

2. PROCESS FOR COMPILATION OF MERIT SCORES (Normalisation procedure based on Percentile Score)

2.1. "Normalisation Procedure" will be used for ensuring that candidates are neither benefited nor disadvantaged due to the difficulty of the examination conducted under different study boards (UP Board/CBSE/ISC/Other Boards) across different years. With the objective of ensuring that a candidate's true merit is identified and that a level playing field is created in the above context, the Normalisation Procedure set out below shall be adopted for compiling the merit scores of students passing from different boards.

2.2. A normalised percentile score (instead of the raw marks of the candidate) shall be used for the preparation of the merit lists. The Percentile Scores will be calculated up to 10 decimal places to avoid the bunching effect and reduce ties. Normalised score will be calculated for only those candidates who have paid the registration fee and have their documents verified.

3. Percentile Calculation of candidates (payment received and documents verified)

3.1 Study boards will be divided into 4 categories: UP Board/CBSE/ISC/Other Boards

3.2 Absolute percentage based on total marks obtained out of the maximum marks possible will be calculated for every candidate in each of the 4 categories of study boards

3.3 The average percentage marks for a particular board will be calculated by dividing the sum total of all percentage marks for all eligible candidates in a particular board by the total number of candidates from that particular board who are eligible (payment received and documents verified) for normalised score calculation. This will be done for all 4 categories of study boards (UP Board/CBSE/ISC/Other Boards)

3.4 The average percentage marks for UP Board will be considered as base and the normalised factor for each board will be calculated by dividing the average percentage marks for that particular board by the average percentage marks of UP Board

3.5 A normalised percentile will be calculated for every candidate by dividing the absolute percentage obtained by the candidate by the normalised factor for the candidate's study board. This process will be carried out for both class 10th and 10+2

3.6 A common merit list will be prepared by calculating the average/mean (equal weightage) of normalised percentile score for marks obtained in both class 10th and 10+2 for every candidate

4. In case of normalised percentile score tied between two or more candidates

If more than one candidate has the same marks in the common merit list, the inter-se-merit among such candidates shall be determined based on the following criteria:

a) The normalised percentile score of class 10+2 of those candidates will be considered and preference will be given to the candidate having higher normalised percentile score in class 10+2

b) If the scores match after this exercise, the normalised percentile score of class 10th of those candidates will be considered and preference will be given to the candidate having higher normalised percentile score in class 10th

c) If scores match after this exercise, the older candidate (based on the date of birth) will be given preference.

d) In case the candidates are of the same age, preference will be given to the candidate based on the occurrence of English alphabets in name

अध्याय–6

काउन्सिलिंग प्रकिया

(1) कुल तीन चक्रो (प्रथम / द्वितीय / तृतीय) में ऑनलाइन काउन्सिलिंग सम्पन्न की जायेगी। प्रथम चक्र से प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय / तृतीय तथा द्वितीय चक्र से प्रवेशित अभ्यर्थी तृतीय चक्र में अपग्रेडेशन(स्थानान्तरण) हेतु आवेदन कर सकता है।

(2) यदि तृतीय चक्र के उपरान्त सीटें रिक्त रहती हैं, ऐसी दशा में विशेष काउन्सिलिंग (Mopup Round) भी की जा सकती है, जिसके सम्बंध में पृथक से दिशा–निर्देश जारी किये जायेगें।

(3) ऑनलाइन कावंसिलिंग के समय पंजीकृत मोबाइन नं0, ईमेल आईडी को अभ्यर्थी अपने पास तैयार रखें।

Step 1: ऑनलाइन काउन्सिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन(Registration for Online Counselling)

(i) प्रथम ऑनलाइन काउन्सिलिंग के अतिरिक्त, प्रत्येक ऑनलाइन काउन्सिलिंग में सहभाग हेतु अभ्यर्थी को अलग अलग पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।

(ii) ऑनलाइन काउन्सिलिंग के पंजीकरण हेतु Registration for Counselling के लिंक को क्लिक करें।

(iii) अभ्यर्थी ऑनलाइन काउन्सिलिंग के पंजीकरण के लिए अपने लॉगिन आई0डी0 एवं पासवर्ड का इस्तेमाल कर लॉगिन (Login) करें।

(iv) प्रथम ऑनलाइन के अतिरिक्त, प्रत्येक ऑनलाइन काउन्सिलिंग में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को प्रति राउण्ड रू–500 / –(Non- Refundable) काउन्सिलिंग शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा ट्रान्जेक्शन चार्ज अतिरिक्त देय होगा।

(v) काउन्सिलिंग शुल्क जमा करने के उपरान्त ऑनलाइन काउन्सिलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन की प्रकिया पूर्ण होगी।

Step 2: सिक्योरिटी फीस जमा करना (Security Fees Deposit)

(i) अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि तक सिक्योरिटी फीस (रू0 5000.00) ऑनलाइन जमा करनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा ट्रान्जेक्शन चार्ज अतिरिक्त देय होगा।

(ii) सिक्योरिटी फीस जमा करने की रसीद डाउनलोड कर उसका प्रिन्ट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखे।

(iii) जिन अभ्यर्थियों द्वारा सिक्योरिटी फीस जमा नही की जायेगी, वह च्वाइस फिलिंग हेतु अर्ह नही होंगे।

(iv) समस्त चक्र की काउन्सिलिंग समाप्त होने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी को कोई भी सीट आवंटित नही होती है तो ऐसी दशा में उसकी सिक्योरिटी फीस नियमानुसार वापस की जायेगी।

(v) जिन अभ्यर्थियों द्वारा सीट आवंटन के पश्चात आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश नहीं लिया जाता है, इस दशा में उनकी जमा की गई सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी।

Step 3: ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग (Online Choice Filling)

(i) जिन अभ्यर्थियों का पंजीकरण तथा सिक्योरिटी फीस जमा निर्धारित तिथि तक हो गया है, ऐसे अभ्यर्थी स्टेप 3 Online Choice Filling पर क्लिक करे। अगले पेज पर अपना लॉगिन आई0डी0 एवं पासवर्ड अंकित कर लॉगिन करें।

(ii) अगले पृष्ठ पर आपके आवेदन का पूरा विवरण खुल जायेगा। उस विवरण को मिलाने के बाद Choice filling बटन पर क्लिक करें।

(iii) अगले पृष्ठ पर च्वाइस फिल करने का फार्म खुल जायेगा। अभ्यर्थी अपनी योग्यता और शैक्षिक अर्हता के अनुसार वरीयता क्रम में उपलब्ध सभी विकल्पों के आधार पर प्रशिक्षण केन्द्र और प्रशिक्षण का चुनाव करने हेतु स्वतंत्र है। अभ्यर्थी उसी प्रशिक्षण केन्द्र एवं प्रशिक्षण का चयन करे, जिसमें वह प्रवेश लेने

का इच्छुक हो। अभ्यर्थी द्वारा जिस क्रम में प्रशिक्षण केन्द्र एवं प्रशिक्षण का चयन किया होगा, उसी क्रम के अनुसार अभ्यर्थी को सीट का आवंटन किया जायेगा। च्वाइस भरते समय अभ्यर्थी को क्रम का विशेष ध्यान रखना होगा।

(iv) च्वाइस फिलिंग करने के बाद Save बटन पर क्लिक करें। जिसके उपरान्त च्वाइस सेव हो जायेगी। अन्तिम निर्धारित तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा सेव की गयी च्वाइसेस में संसोधन किया जा सकता है। संशोधन के उपरान्त च्वाइस को सेव करना होगा। च्वाइस फिलिंग करने की अन्तिम तिथि के पश्चात सेव की गयी च्वाइसेस में संसोधन नही किया जा सकता है।

(v) अभ्यर्थी ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग के दौरान प्रशिक्षण केन्द्र एवं प्रशिक्षण का चुनाव करने से पहले विवरण पुस्तिका(Prospectus) में अर्हता संबंधी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। अभ्यर्थी केवल उन्हीं प्रशिक्षणों का चुनाव करें जिसमें प्रवेश हेतु पात्रता पूर्ण करते हो। अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि तक च्वाइस फिलिंग करनी होगी।

Step 4: सीट आवंटन एवं परिणाम घोषित (Seat allocation and Result declaration)

(i) अभ्यर्थी द्वारा चयनित विकल्पों के क्रम से ही उसके रैंक के अनुसार उपलब्ध सीट का आवंटन किया जायेगा।

(ii) अभ्यर्थी के मेरिट एवं च्वाइस के अनुसार आवंटित सीटों का परिणाम निर्धारित तिथि में घोषित कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन काउन्सिलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर आवंटित सीट की निर्धारित पठ्न–पाठन शुल्क (Tution Fee) Rs. 24,000/- में जमा सिक्योरिटी फीस (Security Fees) Rs 5,000/- घटाकर अवशेष Rs. 19,000/- आनलाईन माध्यम से जमा करने के पश्चात अपना अस्थायी आवंटन पत्र (Provisional Allotment Letter) को डाउनलोड कर सकता है।

(ii) पठ्न–पाठन शुल्क (Tution Fee) Rs. 24,000/- के अतिरिक्त, शासन/प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा निर्धारित अन्य मदो की फीस अभ्यर्थी को संबधित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश के समय जमा करना होगा।

Step 5: प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश/रिर्पोटिंग एवं डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन (Reporting)

(i) काउन्सिलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में जमा की गयी सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी अगले चक्र की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः सिक्योरिटी फीस जमा करने के पश्चात ही अर्ह होगें।

(ii) ऑनलाईन काउन्सिलिंग के द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों को सम्बंधित प्रशिक्षण केन्द्र में पहुंच कर प्रवेश एवं डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।

(iii) अभ्यर्थी अपने सभी मूल दस्तावेज (पृष्ठ सं0 #15 के अनुसार), अस्थायी आवंटन पत्र (Provisional Allotment Letter) एवं डिपोजिट सिक्योरिटी फीस की रसीद (Security Fee Receipt) के साथ सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र में निर्धारित तिथि तक रिपोर्ट करें।

(iv) सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश प्रक्रिया के समय अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्रों की जॉच कर ही प्रवेश की पुष्टि की जायेगी। सूचना विवरणिका(Prospectus) में अंकित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप न होने की दशा में किसी भी स्तर पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।

(v) प्रथम काउन्सिलिंग में सीट आंवटित होने के बाद अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त ही अपग्रेडेशन (स्थानान्तरण) को लेने के लिए विकल्प भरना सम्भव होगा।

अपग्रेडेशन (स्थानान्तरण) की प्रक्रिया

1. अपग्रेडेशन हेतु अभ्यर्थी को प्रवेशित सीट की च्वाइस को छोड़कर अपग्रेड हेतु च्वाइस देना होगा। यदि अभ्यर्थी अपग्रेड नहीं होता है तो जिस प्रशिक्षण केन्द्र/प्रशिक्षण में प्रवेशित था उसी प्रशिक्षण केन्द्र/प्रशिक्षण में प्रवेशित रहेगा।
2. यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेड हेतु आवेदन करता है और वह अपग्रेड हो जाता है तो पूर्व में आवंटित सीट पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
3. अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन उपरान्त आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना होगा और यदि अभ्यर्थी रिपोर्ट नहीं करता है तो इस दशा में अभ्यर्थी का अपग्रेड हुये सीट एवं पूर्व में आवंटित सीट दोनो पर अभ्यर्थन निरस्त हो जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो अपग्रेड हुये सीट पर रिपोर्ट नहीं करते हैं उनका अपग्रेडेशन से पूर्व तथा अपग्रेड हुय (दोनों ही) सीटों पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
4. अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन के पश्चात् पूर्व में प्रवेशित प्रशिक्षण केन्द्र से निर्धारित पठ्न–पाठन शुल्क (Tution Fee) Rs. 24,000/- के अतिरिक्त जमा की गयी अन्य मदों की फीस (यदि वापसी हेतु मान्य हो) एवं दस्तावेज वापसी हेतु स्वंय सम्पर्क करना होगा।

द्वितीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग हेतु पात्र अभ्यर्थी

1. द्वितीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते है, जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउन्सिलिंग में प्रतिभाग नहीं किया था।
2. द्वितीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते है, जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउन्सिलिंग में प्रतिभाग किया, परन्तु उनकों कोई सीट आवंटित नहीं हुयी थी। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः सिक्योरिटी फीस जमा करने की आवश्यकता नही होगी।
3. द्वितीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं, जिन्होंने आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अपग्रेडेशन हेतु आवेदन किया है।
4. द्वितीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं, जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउन्सिलिंग में सीट आवंटित होने के पश्चात् आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं की थी/रिपोर्टिंग नहीं की थी। ऐसे अभ्यर्थी पुनः सिक्योरिटी फीस जमा करते हुए प्रतिभाग कर सकते हैं।
5. द्वितीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिनका प्रथम ऑनलाइन काउन्सिलिंग में सम्बधित प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा कोई डाक्यूमेंट निरस्त कर दिया था परन्तु अभ्यर्थी द्वारा दूसरे चक्र की काउन्सिलिंग से पूर्व सही करा लिया हो। लेकिन 10वीं तथा 12वीं के प्राप्तांको के प्रतिशतो में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार्य नही होगा क्योकि जिसके आधार पर योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) जारी की जा चुकी है।

तृतीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग हेतु पात्र अभ्यर्थी

1. तृतीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते है, जिन्होंने पूर्व के ऑनलाइन काउन्सिलिंग चक्रों में प्रतिभाग नहीं किया था।
2. तृतीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते है, जिन्होंने प्रथम/द्वितीय अथवा दोनो ऑनलाइन काउन्सिलिंग में प्रतिभाग किया, परन्तु उनकों कोई सीट आवंटित नहीं हुयी थी। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः सिक्योरिटी फीस जमा करने की आवश्यकता नही होगी।
3. तृतीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं, जिन्होंने पूर्व के चक्रों में आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अपग्रेडेशन हेतु आवेदन किया हो। ऐसे अभ्यर्थी पुनः सिक्योरिटी फीस जमा करते हुए प्रतिभाग कर सकते हैं।
4. तृतीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं, जिन्होंने पूर्व के ऑनलाइन काउन्सिलिंग चक्रो में सीट आवंटित होने के पश्चात् आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं की थी/रिपोर्टिंग नहीं की थी। ऐसे अभ्यर्थी पुनः सिक्योरिटी फीस जमा करते हुए प्रतिभाग कर सकते हैं।

5. तृतीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिनका प्रथम/द्वितीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग में सम्बधित प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा कोई डाक्यूमेंट निरस्त कर दिया था परन्तु अभ्यर्थी द्वारा तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग से पूर्व सही करा लिया हो। लेकिन 10वीं तथा 12वीं के प्राप्तांको के प्रतिशतो में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार्य नही होगा क्योकि जिसके आधार पर योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) जारी की जा चुकी है।

6. आरक्षित श्रेणी की सीटों का आमेलन तृतीय चक्र के काउन्सलिंग के दौरान किया जायेगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवंटन के उपरांत आरक्षित श्रेणी की यदि कोई सीट रिक्त रह जाती है तो रिक्त सीटों को निम्नांकित तालिका के अनुसार आमेलित करते हुए आवंटन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी–

Sr. No.	Conversion Category	Category Converted to
1	ST (PH, FF, Ex-Army)	ST
2	SC (PH, FF, Ex-Army)	SC
3	UR (PH, FF, Ex-Army)	UR
4	OBC (PH, FF, Ex-Army)	OBC
5	EWS (PH, FF, Ex-Army)	EWS
6	ST	SC
7	SC	UR
8	OBC	UR
9	EWS	UR

काउन्सिलिंग हेतु अपात्र अभ्यर्थी

ऐसे अभ्यर्थी किसी भी अग्रिम ऑनलाइन काउन्सिलिंग में भाग नहीं ले सकते है, जिनके डाक्यूमेन्ट पूर्व के ऑनलाइन काउन्सिलिंग चक्र में फर्जी पाये गये।

फीस व्यपगत/जब्त(Forfeit)/वापसी करने के सम्बन्ध में विवरण

1. यदि किसी अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग में कोई सीट आवंटित होती है और ऑनलाइन सिक्योरिटी फीस (Security Fee) रू0 5000.00 जमा करने के पश्चात सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश प्रकिया पूर्ण नहीं करता है तो इस दशा में सिक्योरिटी फीस (Security Fee) रू0 5000.00 वापस नहीं की जायेगी।
2. **<u>शिक्षण शुल्क की वापसी</u>**– प्रवेश प्रकिया या काउन्सिलिंग के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश लेने के उपरान्त कोर्स छोड़ता है तो Security Fee (रू0 5000.00) को जब्त करते हुये, शिक्षण शुल्क में से 10% की कटौती कर नियमानुसार अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात वापस किया जायेगा। परन्तु प्रथम/द्वितीय/तृतीय चक्रों के प्रवेश प्रकिया समाप्त होने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी कोर्स छोड़ता है तो कोई शिक्षण शुल्क वापस नही किया जायेगा।
3. अभ्यर्थी को पूर्व में प्रवेशित प्रशिक्षण केन्द्र से दस्तावेज वापसी हेतु स्वंय सम्पर्क करना होगा।
4. अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में जमा किया गया किसी भी प्रकार का भुगतान, यदि रिफंड हेतु मान्य हो तो, जिस खाते से भुगतान किया गया हो उसमे अथवा अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में दर्ज कराये गए बैंक खाते में नियमानुसार ट्रांसफर किया जायेगा।

अध्याय–7

प्रवेश प्रकिया

सीट आवंटन के उपरान्त प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश/रिपोर्टिंग के समय उपलब्ध कराने हेतु प्रमाणपत्र

ऑनलाइन काउन्सिलिंग में जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की गयी है, ऐसे अभ्यर्थी अपने सभी मूल दस्तावेज एवं उसकी दो छायाप्रति के साथ आंवटित प्रशिक्षण केन्द्र में निर्धारित तिथि में रिपोर्ट करें। अभ्यर्थियों को आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र पर पहुंच कर प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष से सम्पर्क करना होगा एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। दस्तावेजों की सूची निम्नवत है–

क. सं.	प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश प्रक्रिया हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र
1.	ऑनलाइन आवेदन फार्म (Online Application Form)
2.	आवंटन पत्र (Provisional Allotment Letter)
3.	हाई स्कूल का अंकपत्र एवं प्रमाण–पत्र (मूल रूप में)
4.	इण्टरमीडियट का अंकपत्र एवं प्रमाण–पत्र (मूल रूप में) केवल विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विभाग, जीव विज्ञान/गणित) के साथ उत्तीर्ण।
5.	जाति प्रमाण पत्र(केवल OBC, SC एवं ST अभ्यर्थियों के लिए) (यदि लागू हो) (मूल रूप में)
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) (मूल रूप में)
7.	अन्य उपश्रेणी प्रमाण पत्र (PH, FF एवं Ex-Army अभ्यर्थियों के लिए) (यदि लागू हो) (मूल रूप में)
8.	आधार कार्ड (मूल रूप में)
9.	अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र
10.	**10/- के स्टैम्प पेपर पर निम्नलिखित घोषणा–पत्र देना होगा** ''मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि मेरे प्रशिक्षण केन्द्र के प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रशिक्षण एवं अनुशासन संबंधी जो भी नियम समय–समय पर पारित किये जायेंगे उनका मैं सम्मानपूर्वक पालन करुंगा/करुंगी तथा अच्छा आचरण बनायें रखकर कोई भी ऐसा कार्य नही करुंगा/करुंगी अथवा किसी ऐसे क्रियाकलाप में भाग नही लूंगा/लूंगी जिससे प्रशिक्षण के सुचारु रुप से संचालन में बाधा उत्पन्न हों अनुशासन हेतु जो भी कार्यवाही प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार की जायेगी, वह मुझे मान्य होगी।''

नोट– प्रवेश के समय मूल अभिलेख न होने या सत्यापन में अभिलेख गलत पाये जाने पर आवंटन/प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवेश लेने के उपरान्त किसी भी प्रमाण पत्र के सक्षम स्तर से सत्यापन की प्रक्रिया में यदि कोई अभिलेख/प्रमाण पत्र/सूचना कूटरचित पायी जाती है तो इस स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। जिसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।

अध्याय–8

सहायता केन्द्र

संयुक्त पैरामेडिकल प्रवेश प्रक्रिया 2024–25 हेतु उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट https://upsmfac.org पर उपलब्ध काउंसलिंग पोर्टल के लिंक पर जाकर FAQ सेक्शन को ध्यान से पढे। FAQ से आपकी समस्या का समाधान न होने की दशा में:

- **पोर्टल से सम्बंधित समस्या के समाधान के लिये निम्नलिखित से सम्पर्क करें:–**
  Customer Care No.: +91-7353923338
  Timing: 09:00 AM to 06:00 PM (Working Days)

- **भुगतान से सम्बंधित समस्या के समाधान के लिये निम्नलिखित से सम्पर्क करें:–**
  Customer Care No.: +91-7353923338
  Timing: 09:00 AM to 06:00 PM (Working Days)

  ई–मेलः– pgsupport@billdesk.com

अनुलग्नक–I

प्रशिक्षणवार उपलब्ध सीटों की संख्या			
क्र.स.	प्रशिक्षण का नाम	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्रों मे उपलब्ध सीटे (परिवर्तनीय)	प्रशिक्षण की अवधि
1.	CERTIFICATE IN EMERGENCY & TRAUMA CARE ASSISTANT	50	6 Months
2.	DIPLOMA IN ANAESTHESIA AND CRITICAL CARE TECHNICIAN	305	2 Years
3.	DIPLOMA IN AUDIO AND SPEECH THERAPY TECHNICIAN	55	2 Years
4.	DIPLOMA IN BCG TECHNICIAN AND TUBERCULOSIS PROGRAM MANAGEMENT	25	2 Years
5.	DIPLOMA IN BLOOD TRANSFUSION TECHNICIAN	148	2 Years
6.	DIPLOMA IN BURN AND PLASTIC SURGERY TECHNICIAN	55	2 Years
7.	DIPLOMA IN C.S.S.D. TECHNICIAN	25	2 Years
8.	DIPLOMA IN C.T. SCAN TECHNICIAN	208	2 Years
9.	DIPLOMA IN CARDIOLOGY TECHNICIAN	271	2 Years
10.	DIPLOMA IN DIALYSIS TECHNICIAN	373	2 Years
11.	DIPLOMA IN EMERGENCY & TRAUMA CARE TECHNICIAN	298	2 Years
12.	DIPLOMA IN HOSPITAL AND DOMICILIARY CARE ASSITANT	25	1 Years
13.	DIPLOMA IN HOSPITAL RECORD KEEPING	55	1 Years
14.	DIPLOMA IN LAB TECHNICIAN	1270	2 Years
15.	DIPLOMA IN M.R.I. TECHNICIAN	153	2 Years
16.	DIPLOMA IN NEONATAL CARE TECHNICIAN	85	2 Years
17.	DIPLOMA IN O. T. TECHNICIAN	758	2 Years
18.	DIPLOMA IN OCCUPATIONAL THERAPY	45	2 Years
19.	DIPLOMA IN OPHTHALMIC ASSISTANT	85	2 Years
20.	DIPLOMA IN OPTOMETRY	343	2 Years
21.	DIPLOMA IN ORTHOPAEDIC AND PLASTER TECHNICIAN	260	2 Years
22.	DIPLOMA IN ORTHOTIC AND PROSTHETIC TECHNICIAN	25	2 Years
23.	DIPLOMA IN PHARMACY	300	2 Years
24.	DIPLOMA IN PHYSIOTHERAPY	173	2 Years
25.	DIPLOMA IN RADIO THERAPY TECHNICIAN	86	2 Years
26.	DIPLOMA IN RESPIRATORY THERAPY TECHNICIAN	50	2 Years
27.	DIPLOMA IN SANITATION	63	1 Years
28.	DIPLOMA IN X-RAY TECHNICIAN	839	2 Years

- उपरोक्त सभी प्रशिक्षणों का केवल पठ्न–पाठन शुल्क (Tution Fee) Rs. 24,000/- प्रतिवर्ष है।
- पठ्न–पाठन शुल्क (Tution Fee) Rs. 24,000/- के अतिरिक्त, शासन/प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा निर्धारित अन्य मदो की फीस अभ्यर्थी को संबधित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश के समय जमा करना होगा।

उपरोक्त सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है अभ्यर्थी वेबसाइट का अवलोकन करते रहे।

अनुलग्नक–II

प्रशिक्षण केन्द्रों व उपलब्ध सीटों सम्बंधी सूचना

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा सम्बद्ध, उ0प्र0 शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल डिप्लोमा प्रशिक्षण की शासकीय प्रशिक्षण केन्द्रो मे प्रवेश हेतु वर्तमान में सीटों के विवरण निम्नवत् है–

Sr. No.	Training Center	Course	Seats
1	AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, BAHRAICH	DIPLOMA IN EMERGENCY & TRAUMA CARE TECHNICIAN	30
2	AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, BAHRAICH	DIPLOMA IN LAB TECHNICIAN	30
3	AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, BAHRAICH	DIPLOMA IN NEONATAL CARE TECHNICIAN	30
4	AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, FATEHPUR	DIPLOMA IN LAB TECHNICIAN	30
5	AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, FATEHPUR	DIPLOMA IN O. T. TECHNICIAN	30
6	AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, FIROZABAD	DIPLOMA IN ANAESTHESIA AND CRITICAL CARE TECHNICIAN	30
7	AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, FIROZABAD	DIPLOMA IN EMERGENCY & TRAUMA CARE TECHNICIAN	30
8	AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, FIROZABAD	DIPLOMA IN LAB TECHNICIAN	30
9	AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, FIROZABAD	DIPLOMA IN O. T. TECHNICIAN	30
10	AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, FIROZABAD	DIPLOMA IN OPTOMETRY	30
11	AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, FIROZABAD	DIPLOMA IN ORTHOPAEDIC AND PLASTER TECHNICIAN	30
12	AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, FIROZABAD	DIPLOMA IN X-RAY TECHNICIAN	30
13	AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, HARDOI	DIPLOMA IN LAB TECHNICIAN	20
14	AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, HARDOI	DIPLOMA IN O. T. TECHNICIAN	20
15	AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, HARDOI	DIPLOMA IN OPTOMETRY	20
16	AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, JAUNPUR	DIPLOMA IN LAB TECHNICIAN	40
17	AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, JAUNPUR	DIPLOMA IN O. T. TECHNICIAN	10
18	AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, JAUNPUR	DIPLOMA IN X-RAY TECHNICIAN	10
19	AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, PRATAPGARH	DIPLOMA IN LAB TECHNICIAN	20
20	AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, PRATAPGARH	DIPLOMA IN O. T. TECHNICIAN	20
21	AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, PRATAPGARH	DIPLOMA IN X-RAY TECHNICIAN	20
22	AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, SIDDHARTH NAGAR	DIPLOMA IN HOSPITAL RECORD KEEPING	30
23	AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, SIDDHARTH NAGAR	DIPLOMA IN O. T. TECHNICIAN	30
24	B. R. D. MEDICAL COLLEGE ,GORAKHPUR	DIPLOMA IN ANAESTHESIA AND CRITICAL CARE TECHNICIAN	30
25	B. R. D. MEDICAL COLLEGE ,GORAKHPUR	DIPLOMA IN BURN AND PLASTIC SURGERY TECHNICIAN	30
26	B. R. D. MEDICAL COLLEGE ,GORAKHPUR	DIPLOMA IN CARDIOLOGY TECHNICIAN	30
27	B. R. D. MEDICAL COLLEGE ,GORAKHPUR	DIPLOMA IN DIALYSIS TECHNICIAN	30
28	B. R. D. MEDICAL COLLEGE ,GORAKHPUR	DIPLOMA IN LAB TECHNICIAN	100
29	B. R. D. MEDICAL COLLEGE ,GORAKHPUR	DIPLOMA IN NEONATAL CARE TECHNICIAN	30
30	B. R. D. MEDICAL COLLEGE ,GORAKHPUR	DIPLOMA IN O. T. TECHNICIAN	30
31	B. R. D. MEDICAL COLLEGE ,GORAKHPUR	DIPLOMA IN OPHTHALMIC ASSISTANT	30
32	B. R. D. MEDICAL COLLEGE ,GORAKHPUR	DIPLOMA IN ORTHOPAEDIC AND PLASTER TECHNICIAN	30
33	B. R. D. MEDICAL COLLEGE ,GORAKHPUR	DIPLOMA IN RADIO THERAPY TECHNICIAN	10
34	B. R. D. MEDICAL COLLEGE ,GORAKHPUR	DIPLOMA IN X-RAY TECHNICIAN	38
35	DR. RAM MANOHAR LOHIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	DIPLOMA IN CARDIOLOGY TECHNICIAN	30

Sr. No.	Training Center	Course	Seats
36	DR. RAM MANOHAR LOHIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	DIPLOMA IN DIALYSIS TECHNICIAN	30
37	DR. RAM MANOHAR LOHIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	DIPLOMA IN LAB TECHNICIAN	25
38	DR. RAM MANOHAR LOHIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	DIPLOMA IN O. T. TECHNICIAN	30
39	DR. RAM MANOHAR LOHIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	DIPLOMA IN RADIO THERAPY TECHNICIAN	13
40	DR. RAM MANOHAR LOHIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	DIPLOMA IN X-RAY TECHNICIAN	38
41	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE , KANPUR	CERTIFICATE IN EMERGENCY & TRAUMA CARE ASSISTANT	50
42	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE , KANPUR	DIPLOMA IN ANAESTHESIA AND CRITICAL CARE TECHNICIAN	50
43	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE , KANPUR	DIPLOMA IN AUDIO AND SPEECH THERAPY TECHNICIAN	25
44	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE , KANPUR	DIPLOMA IN BCG TECHNICIAN AND TUBERCULOSIS PROGRAM MANAGEMENT	25
45	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE , KANPUR	DIPLOMA IN BLOOD TRANSFUSION TECHNICIAN	25
46	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE , KANPUR	DIPLOMA IN BURN AND PLASTIC SURGERY TECHNICIAN	25
47	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE , KANPUR	DIPLOMA IN C.S.S.D. TECHNICIAN	25
48	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE , KANPUR	DIPLOMA IN C.T. SCAN TECHNICIAN	25
49	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE , KANPUR	DIPLOMA IN CARDIOLOGY TECHNICIAN	50
50	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE , KANPUR	DIPLOMA IN DIALYSIS TECHNICIAN	50
51	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE , KANPUR	DIPLOMA IN EMERGENCY & TRAUMA CARE TECHNICIAN	50
52	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE , KANPUR	DIPLOMA IN HOSPITAL AND DOMICILIARY CARE ASSITANT	25
53	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE , KANPUR	DIPLOMA IN HOSPITAL RECORD KEEPING	25
54	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE , KANPUR	DIPLOMA IN LAB TECHNICIAN	100
55	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE , KANPUR	DIPLOMA IN M.R.I. TECHNICIAN	25
56	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE , KANPUR	DIPLOMA IN NEONATAL CARE TECHNICIAN	25
57	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE , KANPUR	DIPLOMA IN O. T. TECHNICIAN	50
58	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE , KANPUR	DIPLOMA IN OCCUPATIONAL THERAPY	25
59	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE , KANPUR	DIPLOMA IN OPHTHALMIC ASSISTANT	25
60	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE , KANPUR	DIPLOMA IN OPTOMETRY	25
61	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE , KANPUR	DIPLOMA IN ORTHOPAEDIC AND PLASTER TECHNICIAN	50
62	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE , KANPUR	DIPLOMA IN ORTHOTIC AND PROSTHETIC TECHNICIAN	25
63	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE , KANPUR	DIPLOMA IN PHARMACY	75
64	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE , KANPUR	DIPLOMA IN RESPIRATORY THERAPY TECHNICIAN	50
65	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE , KANPUR	DIPLOMA IN SANITATION	25
66	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE , KANPUR	DIPLOMA IN X-RAY TECHNICIAN	75
67	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, AMBEDKARNAGAR	DIPLOMA IN LAB TECHNICIAN	25
68	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, AMBEDKARNAGAR	DIPLOMA IN X-RAY TECHNICIAN	25
69	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, AZAMGARH	DIPLOMA IN LAB TECHNICIAN	25
70	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, AZAMGARH	DIPLOMA IN O. T. TECHNICIAN	20
71	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, AZAMGARH	DIPLOMA IN OPTOMETRY	20
72	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, AZAMGARH	DIPLOMA IN PHYSIOTHERAPY	20
73	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, AZAMGARH	DIPLOMA IN X-RAY TECHNICIAN	25
74	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, BADAUN	DIPLOMA IN EMERGENCY & TRAUMA CARE TECHNICIAN	30

Sr. No.	Training Center	Course	Seats
75	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, BADAUN	DIPLOMA IN O. T. TECHNICIAN	30
76	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, BADAUN	DIPLOMA IN ORTHOPAEDIC AND PLASTER TECHNICIAN	30
77	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, JALAUN	DIPLOMA IN ANAESTHESIA AND CRITICAL CARE TECHNICIAN	25
78	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, JALAUN	DIPLOMA IN LAB TECHNICIAN	25
79	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, JALAUN	DIPLOMA IN O. T. TECHNICIAN	25
80	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, JALAUN	DIPLOMA IN OPTOMETRY	25
81	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, JALAUN	DIPLOMA IN ORTHOPAEDIC AND PLASTER TECHNICIAN	25
82	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, JALAUN	DIPLOMA IN PHYSIOTHERAPY	25
83	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, JALAUN	DIPLOMA IN X-RAY TECHNICIAN	25
84	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, KANNAUJ	DIPLOMA IN C.T. SCAN TECHNICIAN	40
85	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, KANNAUJ	DIPLOMA IN LAB TECHNICIAN	25
86	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, KANNAUJ	DIPLOMA IN M.R.I. TECHNICIAN	40
87	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, KANNAUJ	DIPLOMA IN OCCUPATIONAL THERAPY	20
88	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, KANNAUJ	DIPLOMA IN OPTOMETRY	40
89	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, KANNAUJ	DIPLOMA IN PHYSIOTHERAPY	20
90	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, KANNAUJ	DIPLOMA IN X-RAY TECHNICIAN	25
91	HRIDAY ROG SANSTHAN, KANPUR	DIPLOMA IN CARDIOLOGY TECHNICIAN	43
92	HRIDAY ROG SANSTHAN, KANPUR	DIPLOMA IN O. T. TECHNICIAN	40
93	J.K. CANCER INSTITUTE, KANPUR	DIPLOMA IN RADIO THERAPY TECHNICIAN	25
94	KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	DIPLOMA IN ANAESTHESIA AND CRITICAL CARE TECHNICIAN	30
95	KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	DIPLOMA IN BLOOD TRANSFUSION TECHNICIAN	38
96	KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	DIPLOMA IN C.T. SCAN TECHNICIAN	38
97	KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	DIPLOMA IN CARDIOLOGY TECHNICIAN	38
98	KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	DIPLOMA IN DIALYSIS TECHNICIAN	38
99	KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	DIPLOMA IN EMERGENCY & TRAUMA CARE TECHNICIAN	38
100	KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	DIPLOMA IN LAB TECHNICIAN	100
101	KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	DIPLOMA IN M.R.I. TECHNICIAN	38
102	KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	DIPLOMA IN O. T. TECHNICIAN	38
103	KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	DIPLOMA IN OPTOMETRY	38
104	KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	DIPLOMA IN PHYSIOTHERAPY	38
105	KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	DIPLOMA IN RADIO THERAPY TECHNICIAN	38
106	KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	DIPLOMA IN SANITATION	38
107	KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	DIPLOMA IN X-RAY TECHNICIAN	75
108	L. L. R. M. MEDICAL COLLEGE , MEERUT	DIPLOMA IN CARDIOLOGY TECHNICIAN	40
109	L. L. R. M. MEDICAL COLLEGE , MEERUT	DIPLOMA IN DIALYSIS TECHNICIAN	40
110	L. L. R. M. MEDICAL COLLEGE , MEERUT	DIPLOMA IN LAB TECHNICIAN	100
111	L. L. R. M. MEDICAL COLLEGE , MEERUT	DIPLOMA IN O. T. TECHNICIAN	100
112	L. L. R. M. MEDICAL COLLEGE , MEERUT	DIPLOMA IN PHARMACY	75

Sr. No.	Training Center	Course	Seats
113	L. L. R. M. MEDICAL COLLEGE , MEERUT	DIPLOMA IN X-RAY TECHNICIAN	50
114	M. L. N. MEDICAL COLLEGE , ALLAHABAD	DIPLOMA IN AUDIO AND SPEECH THERAPY TECHNICIAN	30
115	M. L. N. MEDICAL COLLEGE , ALLAHABAD	DIPLOMA IN C.T. SCAN TECHNICIAN	15
116	M. L. N. MEDICAL COLLEGE , ALLAHABAD	DIPLOMA IN DIALYSIS TECHNICIAN	30
117	M. L. N. MEDICAL COLLEGE , ALLAHABAD	DIPLOMA IN LAB TECHNICIAN	100
118	M. L. N. MEDICAL COLLEGE , ALLAHABAD	DIPLOMA IN M.R.I. TECHNICIAN	15
119	M. L. N. MEDICAL COLLEGE , ALLAHABAD	DIPLOMA IN O. T. TECHNICIAN	30
120	M. L. N. MEDICAL COLLEGE , ALLAHABAD	DIPLOMA IN OPTOMETRY	40
121	M. L. N. MEDICAL COLLEGE , ALLAHABAD	DIPLOMA IN PHARMACY	75
122	M. L. N. MEDICAL COLLEGE , ALLAHABAD	DIPLOMA IN PHYSIOTHERAPY	40
123	M. L. N. MEDICAL COLLEGE , ALLAHABAD	DIPLOMA IN X-RAY TECHNICIAN	75
124	M.L.B. MEDICAL COLLEGE, JHANSI	DIPLOMA IN LAB TECHNICIAN	100
125	M.L.B. MEDICAL COLLEGE, JHANSI	DIPLOMA IN X-RAY TECHNICIAN	38
126	MAA VINDHYAVASINI AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, MIRZAPUR	DIPLOMA IN LAB TECHNICIAN	20
127	MAA VINDHYAVASINI AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, MIRZAPUR	DIPLOMA IN O. T. TECHNICIAN	20
128	MAA VINDHYAVASINI AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, MIRZAPUR	DIPLOMA IN ORTHOPAEDIC AND PLASTER TECHNICIAN	20
129	MAHARANI LAXMIBAI RAJKIYA PARAMEDICAL TRAINING COLLEGE, JHANSI	DIPLOMA IN DIALYSIS TECHNICIAN	30
130	MAHARSHI VASHISHTH AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, BASTI	DIPLOMA IN C.T. SCAN TECHNICIAN	20
131	MAHARSHI VASHISHTH AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, BASTI	DIPLOMA IN LAB TECHNICIAN	40
132	MAHARSHI VASHISHTH AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, BASTI	DIPLOMA IN O. T. TECHNICIAN	30
133	MAHARSHI VISHWAMITRA AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, GHAZIPUR	DIPLOMA IN LAB TECHNICIAN	20
134	MAHARSHI VISHWAMITRA AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, GHAZIPUR	DIPLOMA IN O. T. TECHNICIAN	20
135	MAHARSHI VISHWAMITRA AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, GHAZIPUR	DIPLOMA IN X-RAY TECHNICIAN	20
136	PARAMEDICAL SCHOOL, G.I.M.S., GAUTAM BUDDHA NAGAR	DIPLOMA IN LAB TECHNICIAN	30
137	PARAMEDICAL SCHOOL, G.I.M.S., GAUTAM BUDDHA NAGAR	DIPLOMA IN X-RAY TECHNICIAN	30
138	POSTGRADUATE INSTITUTE OF CHILD HEALTH, NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR	DIPLOMA IN BLOOD TRANSFUSION TECHNICIAN	20
139	POSTGRADUATE INSTITUTE OF CHILD HEALTH, NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR	DIPLOMA IN ORTHOPAEDIC AND PLASTER TECHNICIAN	10
140	PT. RAM PRASAD BISMIL PARAMEDICAL INSTITUTE, AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE SOCIETY SHAHJAHANPUR	DIPLOMA IN ANAESTHESIA AND CRITICAL CARE TECHNICIAN	30
141	PT. RAM PRASAD BISMIL PARAMEDICAL INSTITUTE, AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE SOCIETY SHAHJAHANPUR	DIPLOMA IN DIALYSIS TECHNICIAN	30
142	PT. RAM PRASAD BISMIL PARAMEDICAL INSTITUTE, AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE SOCIETY SHAHJAHANPUR	DIPLOMA IN EMERGENCY & TRAUMA CARE TECHNICIAN	30
143	PT. RAM PRASAD BISMIL PARAMEDICAL INSTITUTE, AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE SOCIETY SHAHJAHANPUR	DIPLOMA IN LAB TECHNICIAN	30
144	PT. RAM PRASAD BISMIL PARAMEDICAL INSTITUTE, AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE SOCIETY SHAHJAHANPUR	DIPLOMA IN O. T. TECHNICIAN	30

Sr. No.	Training Center	Course	Seats
145	PT. RAM PRASAD BISMIL PARAMEDICAL INSTITUTE, AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE SOCIETY SHAHJAHANPUR	DIPLOMA IN OPTOMETRY	30
146	PT. RAM PRASAD BISMIL PARAMEDICAL INSTITUTE, AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE SOCIETY SHAHJAHANPUR	DIPLOMA IN ORTHOPAEDIC AND PLASTER TECHNICIAN	30
147	PT. RAM PRASAD BISMIL PARAMEDICAL INSTITUTE, AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE SOCIETY SHAHJAHANPUR	DIPLOMA IN X-RAY TECHNICIAN	30
148	RAJARSHI DASHRATH AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, AYODHYA	DIPLOMA IN ANAESTHESIA AND CRITICAL CARE TECHNICIAN	30
149	RAJARSHI DASHRATH AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, AYODHYA	DIPLOMA IN BLOOD TRANSFUSION TECHNICIAN	30
150	RAJARSHI DASHRATH AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, AYODHYA	DIPLOMA IN C.T. SCAN TECHNICIAN	30
151	RAJARSHI DASHRATH AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, AYODHYA	DIPLOMA IN DIALYSIS TECHNICIAN	30
152	RAJARSHI DASHRATH AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, AYODHYA	DIPLOMA IN EMERGENCY & TRAUMA CARE TECHNICIAN	30
153	RAJARSHI DASHRATH AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, AYODHYA	DIPLOMA IN LAB TECHNICIAN	30
154	RAJARSHI DASHRATH AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, AYODHYA	DIPLOMA IN O. T. TECHNICIAN	30
155	RAJARSHI DASHRATH AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, AYODHYA	DIPLOMA IN OPHTHALMIC ASSISTANT	30
156	RAJARSHI DASHRATH AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, AYODHYA	DIPLOMA IN OPTOMETRY	30
157	RAJARSHI DASHRATH AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, AYODHYA	DIPLOMA IN ORTHOPAEDIC AND PLASTER TECHNICIAN	30
158	RAJARSHI DASHRATH AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, AYODHYA	DIPLOMA IN X-RAY TECHNICIAN	30
159	RANI DURGAVATI MEDICAL COLLEGE, BANDA	DIPLOMA IN ANAESTHESIA AND CRITICAL CARE TECHNICIAN	30
160	RANI DURGAVATI MEDICAL COLLEGE, BANDA	DIPLOMA IN LAB TECHNICIAN	30
161	RANI DURGAVATI MEDICAL COLLEGE, BANDA	DIPLOMA IN X-RAY TECHNICIAN	30
162	S. N. MEDICAL COLLEGE , AGRA	DIPLOMA IN ANAESTHESIA AND CRITICAL CARE TECHNICIAN	40
163	S. N. MEDICAL COLLEGE , AGRA	DIPLOMA IN BLOOD TRANSFUSION TECHNICIAN	20
164	S. N. MEDICAL COLLEGE , AGRA	DIPLOMA IN C.T. SCAN TECHNICIAN	20
165	S. N. MEDICAL COLLEGE , AGRA	DIPLOMA IN CARDIOLOGY TECHNICIAN	20
166	S. N. MEDICAL COLLEGE , AGRA	DIPLOMA IN DIALYSIS TECHNICIAN	20
167	S. N. MEDICAL COLLEGE , AGRA	DIPLOMA IN EMERGENCY & TRAUMA CARE TECHNICIAN	20
168	S. N. MEDICAL COLLEGE , AGRA	DIPLOMA IN LAB TECHNICIAN	100
169	S. N. MEDICAL COLLEGE , AGRA	DIPLOMA IN M.R.I. TECHNICIAN	20
170	S. N. MEDICAL COLLEGE , AGRA	DIPLOMA IN O. T. TECHNICIAN	40
171	S. N. MEDICAL COLLEGE , AGRA	DIPLOMA IN OPTOMETRY	20
172	S. N. MEDICAL COLLEGE , AGRA	DIPLOMA IN PHARMACY	75
173	S. N. MEDICAL COLLEGE , AGRA	DIPLOMA IN PHYSIOTHERAPY	10
174	S. N. MEDICAL COLLEGE , AGRA	DIPLOMA IN X-RAY TECHNICIAN	75
175	SHAIKH-UL-HIND MAULANA MAHMOOD HASAN MEDICAL COLLEGE, SAHARANPUR	DIPLOMA IN ANAESTHESIA AND CRITICAL CARE TECHNICIAN	10
176	SHAIKH-UL-HIND MAULANA MAHMOOD HASAN MEDICAL COLLEGE, SAHARANPUR	DIPLOMA IN DIALYSIS TECHNICIAN	25
177	SHAIKH-UL-HIND MAULANA MAHMOOD HASAN MEDICAL COLLEGE, SAHARANPUR	DIPLOMA IN EMERGENCY & TRAUMA CARE TECHNICIAN	10
178	SHAIKH-UL-HIND MAULANA MAHMOOD HASAN MEDICAL COLLEGE, SAHARANPUR	DIPLOMA IN LAB TECHNICIAN	25

Sr. No.	Training Center	Course	Seats
179	SHAIKH-UL-HIND MAULANA MAHMOOD HASAN MEDICAL COLLEGE, SAHARANPUR	DIPLOMA IN O. T. TECHNICIAN	25
180	SHAIKH-UL-HIND MAULANA MAHMOOD HASAN MEDICAL COLLEGE, SAHARANPUR	DIPLOMA IN OPTOMETRY	5
181	SHAIKH-UL-HIND MAULANA MAHMOOD HASAN MEDICAL COLLEGE, SAHARANPUR	DIPLOMA IN ORTHOPAEDIC AND PLASTER TECHNICIAN	5
182	SHAIKH-UL-HIND MAULANA MAHMOOD HASAN MEDICAL COLLEGE, SAHARANPUR	DIPLOMA IN X-RAY TECHNICIAN	25
183	U.P. UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, SAIFAI, ETAWAH	DIPLOMA IN BLOOD TRANSFUSION TECHNICIAN	15
184	U.P. UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, SAIFAI, ETAWAH	DIPLOMA IN C.T. SCAN TECHNICIAN	20
185	U.P. UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, SAIFAI, ETAWAH	DIPLOMA IN CARDIOLOGY TECHNICIAN	20
186	U.P. UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, SAIFAI, ETAWAH	DIPLOMA IN DIALYSIS TECHNICIAN	20
187	U.P. UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, SAIFAI, ETAWAH	DIPLOMA IN EMERGENCY & TRAUMA CARE TECHNICIAN	30
188	U.P. UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, SAIFAI, ETAWAH	DIPLOMA IN LAB TECHNICIAN	50
189	U.P. UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, SAIFAI, ETAWAH	DIPLOMA IN M.R.I. TECHNICIAN	15
190	U.P. UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, SAIFAI, ETAWAH	DIPLOMA IN O. T. TECHNICIAN	30
191	U.P. UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, SAIFAI, ETAWAH	DIPLOMA IN OPTOMETRY	20
192	U.P. UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, SAIFAI, ETAWAH	DIPLOMA IN PHYSIOTHERAPY	20
193	U.P. UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, SAIFAI, ETAWAH	DIPLOMA IN X-RAY TECHNICIAN	50

उपरोक्त प्रशिक्षण केन्द्र एवं सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
अभ्यर्थी वेबसाइट का अवलोकन करते रहे।

अनुलग्नक–III

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के **आश्रित के प्रमाण**–पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती .... निवासी ग्राम–.................................., तहसील–.................................., नगर–.................................. जिला–.................................. उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रित)........................ .... पुत्र / पुत्री / पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी).............. .... के आश्रित हैं।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पदनाम ....
मुहर ....

जिलाधिकारी
(सील)

सैनिक आश्रित प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि पूर्व सैनिक नं0 ....
रैंक.................................... नाम ....
पुत्र श्री .... निवासी ....
.... जिला ....
का निवासी है। इन्होंने कोर/रेजीमेन्ट .... में
दिनांक .... से ....
तक सैन्य सेवा की है।

2. भूतपूर्व सैनिक का परिचय पत्र संख्या .... दिनांक ....
को जारी किया गया है।

3. उक्त भूतपूर्व सैनिक के निम्न आश्रित है:–

कम सं0	नाम	आयु (जन्मतिथि)	सम्बन्ध
1.	....	....	....
2.	....	....	....
3.	....	....	....
4.	....	....	....

पत्रांक: जि0सै0क0/प्रमाण पत्र/ /20

कार्यालय जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, जनपद ....

दिनांक..

जिला सैनिक कल्याण एवं
पुनर्वास अधिकारी
जनपद ....